

व्यय राशि 64,490 रु., कुल राशि 4,24,720 रु. हुये हैं। व्यय राशि 4,24,720/- का अनुमानित किया गया। संलग्न:- परिशिष्ट 4

2. संस्था में निम्न वर्णितानुसार कार्य प्रगति पर है, जिनकी स्वीकृति प्रदान की जानी है:-

बिन्दु सं०	कार्य विवरण	कार्यादेश क्रमांक एवं दिनांक	अनुमानित राशि	विशेष विवरण
1	ऑडिटोरियम में एसी प्लान्ट के Replacement of SM 185S4VC and Pressure Testing के कार्य	154-57 / 21.06.2019	1,60,000/-	कमेटी द्वारा कार्य का निरीक्षण किया गया है। भुगतान की कार्यवाही की जानी है।
2	ऑडिटोरियम एवं कॉन्फ्रेंस हॉल नं० 03 में समस्त ऐरिया में दीमक रोधी कार्य	720-24 / 19.11.19	55,000/-	कार्य पूर्ण हो गया है। बिल प्राप्त कर भुगतान किया जाना है।
3	तरणताल में टाईल एवं मरम्मत का कार्य	7952 / 29.07.2019	2,60,000/-	दिनांक 10.12.19 को कमेटी द्वारा कार्य का निरीक्षण किया गया भुगतान की कार्यवाही जारी है।

बिन्दु सं० 1, 2 व 3 में वर्णित कार्यों की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. सीडीपीएसएम के आगामी प्रस्तावित कार्य:-

ऑडिटोरियम, सामुदायिक केन्द्र, एवं तरणताल के रखरखाव हेतु पूर्व में निर्धारित राशि में संशोधन निम्नानुसार प्रस्तावित है:-

(1) ऑडिटोरियम के रखरखाव हेतु निर्धारित राशि :-

क्रम सं०	विवरण	पूर्व में निर्धारित दरें	प्रस्तावित दरें राशि रु० में
1	न्यूनतम 4 घण्टे के उपयोग हेतु	20,000/-	25,000/-
2	8 घण्टे के उपयोग हेतु	30,000/-	35,000/-
3	12 घण्टे के उपयोग हेतु	40,000/-	45,000/-

(2) सामुदायिक केन्द्र के रखरखाव हेतु निर्धारित राशि:-

क्रम सं०	विवरण	पूर्व में निर्धारित दरें	प्रस्तावित दरें राशि रु० में प्रतिदिन
1.	राजस्थान पुलिस में कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त पुलिस कर्मी/अधिकारी स्वयं, स्वयं के सगे भाई बहिन, स्वयं के सगे भाई बहिन के पुत्र	15,000/-	25,000/-

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*  
16.12.19

(2) सामुदायिक केन्द्र के रखरखाव हेतु निर्धारित राशि— पूर्व में वर्ष 2010 में सामुदायिक केन्द्र के रखरखाव हेतु दरों का निर्धारण किया था जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए निम्नानुसार प्रस्तावित है :-

क्रम सं०	विवरण	पूर्व में निर्धारित दरें	प्रस्तावित दरें राशि रु० में प्रतिदिन
1.	राजस्थान पुलिस में कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त पुलिस कर्मी/अधिकारी स्वयं, स्वयं के सगे भाई बहिन, स्वयं के सगे भाई बहिन के पुत्र पुत्रियाँ, पौत्र पौत्रियाँ, दोहिते - दोहितियाँ के सामाजिक समारोह हेतु	15,000/-	25,000/-
2.	आमजन	35,000/-	50,000/-

(3) तरणताल के रखरखाव हेतु निर्धारित राशि— पूर्व में वर्ष 2018 में तरणताल के रखरखाव हेतु दरों का निर्धारण किया था जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए निम्नानुसार प्रस्तावित है :-

क्रम सं०	विवरण	पूर्व में निर्धारित दरें प्रति माह	प्रस्तावित दरें राशि रु० में प्रति माह
1	आरपीए में पदस्थापित राजपत्रित पुलिस अधिकारीगण एवं उनके परिवारजन के लिये	250/-	800/-
2	आरपीए में पदस्थापित अधीनस्थ पुलिस कर्मचारी/अधिकारी एवं उनके परिवारजन के लिये	250/-	400/-
3	आरपीए के बाहर पदस्थापित राजपत्रित पुलिस अधिकारीगण एवं अन्य पुलिस संगठनों के अधिकारी एवं उनके परिवारजन के लिये	700/-	1,200/-
4	आरपीए के बाहर पदस्थापित अधीनस्थ पुलिस कर्मचारी/अधिकारी एवं अन्य पुलिस संगठनों के अधीनस्थ पुलिस कर्मी/ कर्मचारी /परिवार जन के लिये	700/-	800/-
5	आमजन के लिये	2500/-	3,000/-
6	पुलिस प्रशिक्षुगण	निःशुल्क	निःशुल्क

(4) ऑडिटोरियम एवं कान्फ्रेंस हॉल 03 :- संस्था के आदेश क्रमांक 1254-60 दिनांक 23.07.2016 में ऑडिटोरियम एवं कान्फ्रेंस हॉल आमजन को निर्धारित शुल्क के अनुसार आवंटित किया जाता है जबकि पुलिस विभाग की शाखाओं एवं अन्य पुलिस संगठनों एवं सरकारी विभागों के उपयोग हेतु सामान्यतः निःशुल्क आवंटित किये जाते हैं। अतः आमजन के अलावा उपरोक्तानुसार विभागों से ऑडिटोरियम एवं कान्फ्रेंस हॉल नं. 03 के बिजली का खर्च एवं साफ-सफाई हेतु एक न्यूनतम शुल्क लिया जाना उचित प्रतीत होता है। इस सम्बन्ध में निम्नानुसार रखरखाव की राशि प्रस्तावित है:-

*Handwritten signature*

8/12

16.12.19




क्रम सं०	समय	स्थान	स्थान
		ऑडिटोरियम राशि	कॉन्फ्रेन्स हॉल नं० 3 राशि
01	2 घण्टे	2,500 रुपये	1,000 रुपये
02	4 घण्टे	4,500 रुपये	2,000 रुपये
03	4 घण्टे से अधिक	11,00 रुपये प्रति अतिरिक्त घण्टा	500 रुपये प्रति अतिरिक्त घण्टा

(5) ऑडिटोरियम एवं कॉन्फ्रेन्स हॉल नं० 3 की साफ सफाई का कार्य:- संस्था के आदेश क्रमांक 1254-60 दिनांक 23.07.2016 के क्रम में ऑडिटोरियम एवं कॉन्फ्रेन्स हॉल नं० 3 आरपीए, जयपुर के रख रखाव हेतु आरक्षणकर्ता द्वारा साफ सफाई की राशि 500/- पृथक से देय होगी, अनुमोदन किया जाना प्रस्तावित है।

(6) सामुदायिक केन्द्र:- संस्था के आदेश क्रमांक 2875 दिनांक 10.11.2014 के द्वारा सामुदायिक केन्द्र आरपीए, जयपुर के रखरखाव हेतु आरक्षणकर्ता द्वारा साफ सफाई की राशि 500/- निर्धारित की गई थी। वर्तमान में सामुदायिक केन्द्र आरपीए, में साफ सफाई के कार्य को देखते हुये 500/- के स्थान पर आरक्षणकर्ता से 1000/- की राशि लिया जाना प्रस्तावित है।

(7) साधारण सभा की बैठक:- सीडीपीएसएम, आरपीए, जयपुर की साधारण सभा की वार्षिक बैठक श्रीमान् महानिदेशक पुलिस एवं अध्यक्ष सीडीपीएसएम, राज० जयपुर की अध्यक्षता में माह जनवरी 2020 में आयोजित बैठक का अनुमोदन किया जाना प्रस्तावित है।


क्रम सं० 01 से 07 तक वर्णितानुसार प्रस्तावित कार्यों की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

  
(हेमन्त प्रियदर्शी)  
अध्यक्ष,  
एग्जीक्युटिव कमेटी,  
एवं निदेशक,  
आरपीए, जयपुर

हस्ताक्षर रादस्यगण

1. उप निदेशक एवं प्राचार्य, आर.पी.ए., जयपुर।
2. सहायक निदेशक (प्रशासन) आर.पी.ए., जयपुर।
3. सहायक निदेशक (इण्डोर) आर.पी.ए., जयपुर।
4. लेखाधिकारी, आर.पी.ए., जयपुर।

 Krishna

 सुमन

 16.12.17